B.Com. Part I

PAPER -1st

Unit-I

उद्यमिता

उद्यमिता :– उद्यमिता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की किसी नई कार्य उपक्रम को प्रारम्भ करने की भावना इच्छा योग्यता या प्रवृत्ति से है।

उद्यमिता शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है किसी जोखिम पूर्ण कार्य को प्रारम्भ एवं संचालित करने की कला योग्तया है उद्यमिता कहलाती है।

हावर्ड जॉन सन् :– हावर्ड जॉनसन के अनुसार उद्यमिता तीन मूल तत्वों अविष्कार नवाचार अगिकरण मिश्रण है।

शुरपीटर :– उद्यमिता एक नवाचार की कार्य है यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व है।

निष्कर्ष :– उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिनके अन्तर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों समूह जोखिम पूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर सृजनात्मक कार्य करता है।

उद्यमिता की प्रकृति, विशेषताएँ व उद्देश्य लिखित :–

(i) सृजनात्मक प्रक्रिया
(ii) असतत् प्रक्रिया
(iii) अवसर की खोजने प्रक्रिया
(iv) नवाचार करना
(v) जोखिम उठाना
(vi) उपक्रम स्थापना करने की क्षमता
(vii) सर्मपण
(viii) स्थानात्मक प्रवृति
(ix) सिद्धान्तों की पर आधारित
(x) वातावरण प्रधान
(xi) मिट्टी से सोना बनाने की प्रक्रिया

उद्यमिता के प्रकार निम्न निर्धारित है –

(1) व्यवसायिक क्रिया के आधार पर :–
- (i) औद्योगिक उद्यमिता
- (ii) व्यापारिक उद्यमिता
- (iii) कृषि उद्योग
- (iv) मिश्रित उद्यमिता

(2) स्वामित्व के आधार पर
- (i) निजी
- (ii) सहकारी
- (iii) संयुक्त

(3) दृष्टि कोण के आधार पर
- (i) परम्परागत

J.D.P.G. COLLEGE

(ii) नवीन तकनीक

(4) आकार के आधार पर

(i) वृहत्त

(ii) लघु

(5) स्थान के आधार पर

(i) ग्रामीण

(ii) शहरी

(6) संस्थान के आधार पर

(i) एकाकी

(ii) संयुक्त

(iii) सहकारी

निगमीय उद्यमिता अथवा इन्ट्राप्रिन्यौरशिप :– जिसे Intra कोयीशिप के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म अमेरिका से हुआ इस शब्द का उपयोग उस उद्यमिता के लिए किया गया है जो किसी विधमान उपक्रम या संगठन में विकसित होती है।

प्रो. डाप्ट के अनुसार :– इन्ट्राप्रिन्यीशिप किसी संगठन की नवाचार की पहचाने की उसे प्रोत्साहित करने में प्रक्रिया है।

प्रो.पीटर के अनुसार :– निगमीय उद्यमिता किसी विद्यमान संगठन में उद्यमिता है।

निष्कर्ष :– निगमीय उद्यमिता बड़ी कम्पनी में जन्म लेती है इसकी परिणाम स्वरूप कम्पनी के प्रबन्ध कुछ नया करते है।

विशेषताएँ :–

(i) किसी संगठन में जन्म लेती है।

(ii) कुछ नया करने में सहारा को बढ़ावा देती है।

(iii) संसाधनों को जुटाती है।

(iv) निगमीय उद्यमिता में जोखिम विद्यमान संगठन वहन करती है।

(v) ई–कॉमर्स को अपनाया जाता है।

उद्यमिता एवं निगमीय उद्यमिता में अन्तर

क्र.स.	आधार	उद्यमिता	निगमीय उद्यमिता
(i)	जन्म	संगठन के बना	संगठन में
(ii)	स्थिति	स्वतंत्र स्थिति	प्रबन्ध व कर्मचारी
(iii)	संसाधन	स्वयं व्यक्ति की	संस्था द्वारा
(iv)	जोखिम	स्वयं व्यक्तियों	संस्था द्वारा
(v)	पुरस्कार	लाभ	कमीशन / वेतन

निगमीय उद्यमिता की बाधाएँ :–

(i) अधिकारी वर्कस के मध्य स्वच्छ समन्वय सम्प्रेषण

(ii) आन्तरिक उत्पादकों में प्रतिस्पर्द्धा को दूर करने नही करना

(iii) आन्तरिक संसाधन की कमी

(iv) उच्च पुरस्कार का अभाव

(v) प्रबन्धक की असहयोग

J.D.P.G. COLLEGE

CHAPTER -2

उद्यमिता की भूमिका एवं समस्याएँ

उद्यमिता के लिए महत्व / भूमिका –

(1) स्वत्रंता होने के अहसास
(2) स्वाभिमान को बढ़ावा
(3) महिला उद्यमियों का विकास
(4) भाग्य निर्माण का अवसर
(5) क्षमता के पूर्वा उपयोग
(6) धन की लालसा की सन्तुष्टि
(7) रूचि व शोक को पूरा करना
(8) समाज सेवा
(9) दूसरो से हट कर कार्य करना

अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए महत्व / भूमिका :–

(1) नवाचार का प्रोत्सहान
(2) नवीन उपकरण की स्थापना
(3) नवीन बाजार का विकास
(4) उपकरण विकास
(5) रोजगार के अवसर
(6) अन्तर्राष्ट्रीय विकास
(7) आर्थिक सत्ता विकेन्द्रिकरण उपकरण
(8) जीवन स्तर को बढावा
(9) पूँजी निर्माण
(10) राज्य कोषी रिती का विकास
(11) अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय का प्रोत्सहान
(12) पूँजी का बढावा

उद्यमिता की समस्या एवं बाधाएँ –

;1द्ध आय की प्रकृति
;2द्ध लम्बा गर्भकाल
;3द्ध कडी मेहनत
;4द्ध भारी तकनीक
;5द्ध असफलता होने के आधार
;6द्ध फूरस के लिए आनन्द
;7द्ध सीमित समय
;8द्ध चिन्ता व तनाव
;9द्ध दायित्व भार अधिक होना
;10द्धवित्त की कमी
;11द्धकई औपचारिक कार्य
;12द्धभ्रष्टाचार

J.D.P.G. COLLEGE

CHAPTER -3

उद्यमी एवं प्रबन्धक

उद्यमी प्रत्येक राष्ट्रीय के लिए अमूल्य सृजनात्मक शक्ति है वे देश के संसाधनों का सदुपयोग करने का साहस करता है।

उद्यमी की अवधारणा :–

(1) अर्थशास्त्री के रूप में अवधारणा
(2) समाज शास्त्र के रूप में अवधारणा
(3) मनो विज्ञान अवधारणा
(4) प्रबन्ध शास्त्र के रूप
(5) व्यापक व उदार अवधारणा

(1) उद्यमी के प्रत्यक्ष सम्बन्ध अर्थशास्त्र से होता है :–
(i) जोखिम वहनकर्ता
(ii) संगठन का निर्माण के रूप
(iii) निर्णयकर्ता के रूप
(iv) नवाचार कर्ता के रूप

(2) ऐसे उद्यमी को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते है जो समाज की आवश्यकता एवं अप्रेक्षाओं के अनुरूप संसाधनों को संगठित करता है व उनका उपयोगकर्ता करते है व उनकी समस्याओं का निवारण करते है।

(3) उद्यमी ऐसा शक्ति है जो कुछ शक्तियों में प्रेरित कर उद्यमिता को अपनाता है व कुछ नया करना चाहता है।

(4) उद्यमी वह जो परिवर्तन की खोज करता है उस पर प्रतिक्रिया करता है और परिवर्तन को अवसर समझकर लाभ उठता है।

(5) उद्यमी शक्तियों व शक्तियों का समूह है जो अवसर की खोज कर उन की मूर्त मप प्रदान करता है व नवाचार की अपनाता है व उन क्रियाओं में निहित सफलता व असफलता को अपनाता है।

उद्यमी की परिभाषा :– 1. परम्परागत 2. आधुनिक

उद्यमी की प्रकृति :–
(i) व्यक्ति व व्यक्तियों का समूह
(ii) संस्थान स्वरूप
(iii) नवाचारी
(iv) स्थापना व संचालन
(v) जोखिम वहनकर्ता
(vi) संसाधनों की व्यवस्था
(vii) शोध व विकास
(viii) स्वतत्रंता कार्य शैली
(ix) आशावादी दृष्टिकोण प्रतिफल लाभ
(x) प्रशिक्षित किया जा सकता है

उद्यमी के प्रकार :–
(i) प्रकृति के आधार पर
(ii) स्वामित्व के आधार पर
(iii) व्यवसायिक के आधार पर
(iv) संख्या के आधार पर
(v) आकार के आधार पर
(vi) तकनीक के आधार पर
(vii) अभिप्रेरणा के आधार पर

J.D.P.G.COLLEGE

प्रबन्धक :– वह व्यक्ति है जो दूसरो से अपने अनुसार कार्य करवा सकता है। प्रबन्धक वह व्यक्ति जो दूसरे मे अपने अनुसार कार्य करवाने की क्षमता रखता हो और नियंत्रण नियोजन निर्देशन करता है जो व्यक्ति दूसरे से कार्य करवाने के लिए यह कार्य नही करता वह प्रबन्धक नही कहलाता है।

प्रबन्धक के विभिन्न नाम :–

(i) अध्ययन
(ii) उपाध्यक्ष
(iii) प्रबन्ध संचालक
(iv) महाप्रबन्धक
(v) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
(vi) विभिन्न क्रियात्मक प्रबन्धक
(vii) शाखा प्रबन्धक
(viii) फोरमेन
(ix) निरीक्षक पर्यवेक्षक
(x) अधिकारी

प्रबन्धक के कार्य :–

(i) नियोजन
(ii) संगठन
(iii) निर्देशन
(iv) नियंत्रण
(v) समन्वय
(vi) निर्णयन
(vii) नियुक्ति
(viii) नवप्रवर्तन
(ix) प्रतिनिधित्व

- **उद्यमिता तथा निगमीय उद्यमिता/इन्ट्रोप्रिन्योरशिप में अन्तर :–**

क्र. स.	**अन्तर का आधार**	**उद्यमिता / इन्ट्रोप्रिन्योरशिप**	**निगमीय उद्यमिता / इन्ट्रोप्रिन्योरशिप**
1.	**जन्म**	उद्यमिता का जन्म संगठन के बिना तथा बाहर ही होता है।	इकसा जन्म किसी विद्यमान संगठन के भीतर होता है।
2.	**स्थिति**	उद्यमिता को अपनाने वाले की स्थिति की एक स्वतंत्र व्यक्ति की होती है।	इन्ट्राप्रिन्योरशिप अपनाने वाले व्यक्ति स्वतंत्र शक्ति नही है। वह किसी विद्यमान संस्था का प्रबन्धक या कर्मचारी होता।
3.	**जोखिम**	उद्यमिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण जोखिम उद्यमी को ही वह करनी होती है।	इसे अपनाने पर सम्पूर्ण जोखिम विद्यमान संस्था द्वारा उठायी जाती है प्रबन्धक को कभी कभी अप्रत्यक्ष जोखिम (वेतन में कमी, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि के रूप में उठानी पड़ती है।
4.	**संसाधन**	उद्यमिता अपनाने वाला स्वयं सभी आवश्यक संसाधन होता है।	इसे अपनाने वाले व्यक्ति के लिए सभी संसाधन उनकी संस्था द्वारा जुटाये जाते है।
5.	**स्वामित्व व प्रबन्ध**	उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति को ही उपक्रम पर पूण स्वामित्व एवं प्रबन्ध का अधिकार होता है।	इन्ट्राप्रिन्योरशिप के अन्तर्गत स्थापित नये उपक्रम, डिविजन या व्यावसायिक इकाई पर स्वामिता विद्यमान संगठन के स्वामियों के पास ही होता है।

J.D.P.G. COLLEGE

- **उद्यमिता का महत्व / लाभ / भूमिका :–**

  (I) **उद्यमियों के लिए महत्व / भूमिका –**

  (1) स्वतंत्रता को प्रोत्साहन।

  (2) स्वावलम्बन को प्रोत्साहन।

  (3) महिला उद्यमियों का विकास।

  (4) क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर।

  (5) आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर।

  (6) समाज सेवा का अवसर।

  (II) **अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए महत्व / भूमिका –**

  (1) नवचार को प्रोत्साहन।

  (2) नवीन उपक्रमों की स्थापना।

  (3) नवीन उत्पादों / सेवाओं का उत्पादन।

  (4) विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार।

  (5) रोजगार के अवसरों में योगदान

  (6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन।

  (7) संसाधनों का सदुपयोग।

- **उद्यमिता की समस्याएँ एवं सीमाएँ :–**

  (1) आय की अनिश्चिता।

  (2) कडी मेहनत।

  (3) भारी जोखिम।

  (4) असफलता पर आद्यात।

  (5) चिन्ता एवं तनाव।

  (6) वित्त की कमी।

  (7) कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी।

- **उद्यमी की अवधारणा :–**

  (1) अर्थशास्त्रियों की आवधारणा –

  (i) जोखिम वहनकर्ता के रूप में।

  (ii) संगठनकर्ता के रूप में।

  (iii) निर्णयकर्ता के रूप में।

  (iv) प्रबन्धक रूप में।

  (v) नवाचारकर्ता के रूप में।

  (2) समाजशास्त्रियों की अवधारणा।

  (3) मनोविज्ञानियों की अवधारणा।

  (4) प्रबन्धशास्त्रियों की अवधारणा।

  (5) व्यापक या उदार अवधारणा।

J.D.P.G. COLLEGE

Unit-II

- **उद्यमिता के जन्म एवं विकास की विचाराधाराएँ :–**

  (1) आर्थिक विचाराधारा।

  (2) समाजशास्त्रीय विचारधारा।

  (3) मनोवैज्ञानिक विचारधारा।

  (4) समग्र या व्यापक विचारधारा।

- **उद्यमिता को प्रभावित करने वाले घटक :–**

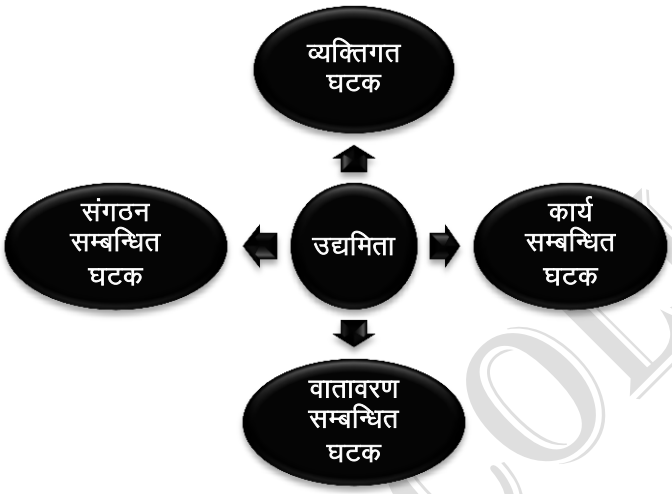

वातावरण सम्बन्धी घटक

- **भारत में उद्यमी वर्ग का आविभावी एवं विकास :–**

  (I) **स्वतन्त्रता से पूर्व उद्यमी का विकास –** भारतीय औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1916–18) में लिखा कि ''ऐसे समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की जन्मस्थली पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां निवास करती थी तब भारत अपने शासकों की समृद्धि एवं अपने कारिगरों की कलात्मक कारीगरी के लिए मशहूर था भारत का औद्योगिक विकास किसी भी आधार पर विकसित यूरोपीय देशों से कम नही था।''

  (II) **स्वतन्त्रता के बाद उद्यमिता का विकास –**

- **भारत में उद्यमियों / उद्यमिता के धीमे विकास के कारण –**

1. वर्ण–व्यवस्था।
2. वंशानुगत व्यसाय परम्परा।
3. रूढिवादिता तथा अंधविश्वास।
4 साहस भावना का अभाव।
5. प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव।
6. तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव।
7. अपर्याप्त सुविधाएँ।

- **भारत में उद्यमियों / उद्यमिता के विकास हेतु प्रयास –**

1. व्यावहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा।
2. अन्य आर्थिक नीतियों का उदारीकरण।
3. उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना।
4 वस्तुवार नीतियों की घोषणा।
5. दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा।
6. वित्तीय संस्थाओं की स्थापना।
7. पूँजी बाजार का विकास।

J.D.P.G. COLLEGE

- **प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा :–** प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को ज्ञान, चातुर्थ एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

  प्रोक्टर तथा थोरूटन के शब्दों में, ''प्रशिक्षण जान–बूझकर किया जाने वाला वह कार्य है जो किसी कार्य को सीखने के लिए साधन प्रदान करता हैं।

  विशेषताऐं :–

  1. सतत् प्रक्रिया।
  2. यह पूर्ण नियोजित प्रक्रिया।
  3. उत्पादकता में योगदान।
  4. समस्याओं का निवारण।
  5. अनुभव का स्थानापन्न।
  6. विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध।

- **प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अन्तर :–**

अन्तर का आधार	प्रशिक्षण	शिक्षा
अर्थ	प्रशिक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में ज्ञान एवं चातुर्थ में अभिवृद्धि की जाती है।	शिक्षा वह कार्य है जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के सामान्य ज्ञान एवं वातावरण के घटकों के प्रति समझ को बढाया जाता हैं।
अवधि	प्रशिक्षण की अवधि प्रायः सीमित ही होती है।	शिक्षा की अवधि बहुत लम्बी होती है।
क्षेत्र	प्रशिक्षण का क्षेत्र केवल विशिष्ट कार्य के ज्ञान एवं चातुर्थ तक ही सीमित है।	शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान प्रदान करती है।
परिणाम अवधि	प्रशिक्षण का परिणाम प्रायः शीघ्र सामने आ जाता है।	शिक्षा का परिणाम जीवन में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि बाद मिलता है।
उद्देश्य	इसका उद्देश्य कार्य में कुशलता प्राप्त करना हैं।	इसका उद्देश्य व्यक्ति की समझ को बढाना हैं।

- **उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य :–**

  1. उद्यमीय गुणों एवं प्रेरणाओं को विकसित एवं सुदृढ़।
  2. वातावरण के विश्लेषण में सहयोग।
  3. उत्पाद या परियोजना के चयन।
  4. प्रबन्धकीय कौशल को प्राप्त करने।
  5. लाभ–दोषों से अवगत।
  6. उद्यमियों के दायित्वों।
  7. जोखिमों को वहन करने की क्षमता का विकास।
  8. संचार क्षमता एवं योग्यता का विकास।

- **उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ :–**

  1. सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उपक्रमों की संख्या में वृद्धि।
  2. निवेश उत्पादन।
  3. कारखानों में निवेश।
  4. कारखानों में रोजगार।

5. कारखानों की संख्या।
6. औद्योगिक लाइसेन्सों / आशय –पत्रों की संख्या।

- **उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु उपाय :–**

(a) **भारत सरकार के उपाय / प्रयास –**

i) उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना।
ii) प्रशिक्षण सहायता योजना का संचालन।
iii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का संचालन।
iv) सर्वेक्षण, अध्ययन एवं नीतिगत शोध।

(b) **राज्य सरकारों का प्रयास –**

i) उद्यमिता विकास संस्था लखनऊ, यूपी।
ii) उद्यमिता विकास केन्द्र, धाखाड, कर्नाटक।
iii) उद्यमिता विकास एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
iv) उद्यमिता विकास केन्द्र गुडगांव हरियाणा।
v) उद्यमिता विकास केन्द्र मदुरई।

(c) **गैर–सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के प्रयास –**

i) स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
ii) युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास करना।
iii) प्रशिक्षण के द्वारा सक्ष्म एवं योग्य उद्यमियों का विकास करना।
iv) उद्यमियों के निर्णायों एवं विकास द्वारा निगमीय कुशलता को बढ़ाना।

Unit-III

- **सुलभ उपक्रमों की अवधारणा / परिभाषा :–**

परिभाषा :– लघु एवं मध्यम –आकार में उपक्रमों की अवधारणा प्रचलित है। भविष्य में प्रचलित है लेकिन भारत में 2 अक्टूबर 2006 के बाद लघु के प्रचालन को छोडकर सुक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम की अवधारणा को उपक्रम की अवधारणा अपना ली है। सुलभ उपक्रम की अवधारणा लघु एवं मध्यम उपक्रम की आधारणा से अधिक व्यापक है।

निर्माण के आधार पर :–

सुलभ निर्माण उपक्रम :– किसी भी उपक्रम किसी भी उत्पादों से संलग्न किसी ऐसे उपक्रम से है। जिसकी प्लाट निवेश 25 लाख से अधिक का नहीं है।

लघु निर्माण उपक्रम :– 5 करोड से अधिक न हो।

मध्यम निर्माण उपक्रम :– 10 करोड से अधिक न हो।

सेवा के आधार पर –

सूक्ष्म / सेवा उपक्रम – लाख से अधिक न हो।

लघु / सेवा उपक्रम – 10 करोड़ से अधिक न हो।

मध्यम / सेवा उपक्रम – 2 सम्पत्ति 5 करोड़ से अधिक न हो।

- **सूलभ उपक्रमों की विशेषताएँ/ लक्षण :–**

J.D.P.G. COLLEGE

1. एकाकी या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व।
2. प्रबन्ध एवं नियंत्रण।
3. सीमित निवेश।
4 सीमित वित्तीय स्त्रोत।
5. स्थानीय कार्यक्षेत्र।
6. श्रम–प्रधान संगठन।
7. कर्मचारी की सीमित संख्या
8. सर्वव्यापी संगठन।

- **सुलभ उपक्रमों के लाभ / गुण**

या

सुलभ उपक्रमों के जीवित रहने के काण

1. उत्पादन की सरल विधियाँ।
2. कम औपचारिकताएँ।
3. क्रय कर भार।
4 बड़े उपक्रमों के लिए आधार।
5. रोजगार के साधन।
6. सरकारी संरक्षण।
7. अर्थव्यवस्था का विकास
8. शहरी समस्याओं का समाधान।

- **सूलभ उपक्रम की भूमिका के आयाम –**

1. घरेलू सकल उत्पाद में योगदान।
2. निर्माण उत्पादन।
3. पूँजी निर्माण एवं निवेश।
4 रोजगार।
5. निर्यात प्रतिस्थापना।
6. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन।
7. स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग।
8 व्यापार चक्रो से सुरक्षा।
9. पूँजी उत्पादन अनुपात।

- **लघु उपक्रम नीति का आशय –**

यहाँ हम लघु उपक्रम नीति एवं सूलभ उपक्रम नीति पढो को समानार्थक रूप में ही प्रयोग कर रहे है।

व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि लघु सूलभ उपक्रम नीति वह सराकरी नीति है जिसमें देश के सूक्ष्म वस्तु, लघु एवं मध्य उपक्रमों की स्थापना, विकास, विस्तार प्रबन्ध– संचालन, श्रम विदेशी पूँजी आदि के नियमन एवं नियन्त्रण सम्बन्धी विचारधारा का समावेश होता है।

- **लघु उपक्रम नीति की आवश्यकता / महत्व :–**

1. देश की स्थानीय संसाधनों के सुदपयोग के लिए।
2. देश का सन्तुलित विकास करना।
3. आर्थिक एकाधिकारों पर नियंत्रण करना।
4. सभी आकार के उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन करना।
5. परम्परागत कला का सरंक्षण।
6. उद्यमिता प्रशिक्षण एवं कौशल विकास को प्रोत्साहान।

- **सूलभ उपक्रम नीतियों की नवीन प्रवृत्तियो –**

या

2006–07 से आज तक नीतिगत पहल

1. राष्ट्रीय सूलभ उपक्रम बोर्ड का गठन।
   (i) घटकों का परीक्षण
   (ii) नीतियों एवं कार्यक्रमों का पुरावलोकन
   (iii) अपनी अनुशंसा
2. परामर्श सीमित।
3. उपक्रमों का वर्गीकरण।
4. राष्ट्रीय निर्माणी प्रतिस्पर्धा।
5. लघु स्तरीय क्षेत्र में निर्माण हेतु उत्पाद मदों में आरक्षण की समाप्ति।
6. सूलभ उपक्रमों पर प्रधान मंत्री कार्यदल।

- **नीति क्रियान्वयन सम्बन्धी संगठन :–**

भारत सरकार ने माई 2007 से ही सूलभ उपक्रमों से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वन का दायित्व 'सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उपक्रम मंत्रालय' अर्थात् 'सूलभ उपक्रम मंत्रालय' कौस दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म उपक्रमों के संवर्धन एवं विकास का मूल्य दायित्व राज्य सरकारों का होता है भारत सरकार उन सरकारों के कार्यों में योगदान करने हेतु कुछ नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करती है। अतः ऐसे सभी संगठनों / संस्थाओं का निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. केन्द्र सरकार के संगठन / संस्थाएँ
2. राज्य सरकार के संगठन / संस्थाएँ
3. अन्य संगठन / संस्थाएँ

(I) **केन्द्रीय सरकार के संगठन**
   (a) राष्ट्रीय सूलभ उपक्रम बोर्ड (NB-MSME)
   (b) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
   (c) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC)
   (d) महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था।
   (e) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड।

(II) राज्य सरकार के संगठन
   (a) लघु उद्योग बोर्ड।
   (b) उद्योग विकास निगम।
   (c) राज्य वित्त निगम।
   (d) उद्योग निदेशालय।
   (e) जिला उद्योग केन्द्र।
   (f) परामर्श संगठन

(III) **अन्य संगठन / संस्थाएँ**
   (a) अखिल भारतीय वित्तीय एवं बैकिंग संस्थाएँ।
   (b) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

Unit-IV

- **उपक्रम का प्रवर्तन –** उपक्रम यह जानते हुए भी स्थापित किये जाते है कि दुनिया के लगभग 35 प्रतिशत नये उपक्रम अपनी स्थापना के दो वर्षो में तथा 54 प्रतिशत उपक्रम पाँच वर्षो में 64 प्रतिशत 54 उपक्रम छः वर्षो में बंद हो जाते है।

- **उपक्रम प्रवर्तन के कारण :–**

1. उपलब्धि की उच्च अकांक्षा को पूरा करना।
2. रोजगार की व्यवस्था के लिए।
3. स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए।
4. स्वावलम्बन एवं स्वतंत्रता।
5. प्रेरित इच्छा को पूरा।
6. तकनीक ज्ञान एवं अनुभव का लाभ।

- उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया :–
1. अवसरों की खोज
2. अवसरो का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना।
3. प्रारम्भिक तैयारियाँ करना।
4. व्यावसायिक योजना का निर्माण करना।
5. उपक्रम संरचना का निर्माण करना।
6. वित्त व्यवस्था करना।

J.D.P.G. COLLEGE

- **संगठन संरचना :–** संगठन संरचना से तात्पर्य किसी उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप से है जब कोई उद्यमी अपने उपक्रम की स्थापना निर्णय करता है तो उसे अपने उपक्रम के स्वामित्व के प्रारूप को निर्धारित करना होता है।
- **संगठन संरचना के प्रकार / प्रारूप :–**
  1. सकल या एकाकी स्वामित्व
  2. साझेदारी फर्म
  3. सीमित देयता साझेदारी
  4. कम्पनी या संयुक्त पूँजी कम्पनी। ये तीन प्रकार की हो सकती है :–
     (a) सार्वजनिक कम्पनी।
     (b) निजी कम्पनी
     (c) एक व्यक्ति कम्पनी।
  5. सहकारी संगठन।

- **साझेदारी / साझेदारी फर्म :–**
  परिभाषा :– हैने के अनुसार, ''साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध है जो निजी लाभ उद्देश्य से व्यवसाय को साझे के लिए सहमत होते है।
- **साझेदारी के आवश्यक लक्षण :–**
  1. दो या दो अधिक व्यक्ति का होना।
  2. साझेदारों की अधिकतम संख्या।
  3. ठहराव का होना।
  4. कारोबार व व्यवसाय का होना।
  5. असीमित दायित्व।
  6. साझेदारी का अस्तिव।

4. **कम्पनी या संयुक्त पूँजी कम्पनी :–**

कम्पनी अधिनियम 2013 – कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनी स आशय किसी ऐसी कम्पनी से जिसका अधिनियम के अधिन या कम्पनी विधान के अधिन सम्मेलन हुआ हो।

हैने के अनुसार – हैने के अनुसार कम्पनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका प्रथक–अस्तिव होता है, और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है।

- **कम्पनी की विशेषता :–**
  1. कम्पनी एक समामेलित संस्था है
  2. सदस्यों की न्यूनतम 2 और अधिक लागभग 200
  3. प्रथम वैधानिक अस्तित्व है
  4. सार्वमुद्रा होती है
  5. वैधानिक दायित्व होते है।

ये तीन प्रकार की होती है

1. सार्वजनिक कम्पनी ।
2. निजी कम्पनी।
3. एक व्यक्ति कम्पनी।

5. सहकारी व्यवसायिक संगठन :–

व्यावसायिक संगठन सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर भी संचालित किये जाते है सहकारिता 'एक सबके लिए तथा सब एक के लिए' के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है।

परिभाषा :– सी.आर.फे (C.R. Fay के अनुसार ''सहकारी सीमित संगठन संयुक्त रूप से व्यवसाय करने के उद्देश्य से दुर्बल व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो सदैव निःवार्थ भाव से इस प्रकार चलाया जाता है जिससे की सभी व्यक्ति जो इसकी सदस्यता से सम्बन्धित कर्तव्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है उसी अनुपात में जिसमें कि वे अपने संगठन का प्रयोग करे लाभ प्राप्त करेगें।

J.D.P.G. COLLEGE

- **भारत में सूलभ उपक्रमों को कराधान लाभ / रियायतें :–**
  1. आयकर लाभ एवं रियायतें।
  2. उत्पाद– शुल्क लाभ एवं रियायते।
  3. वाणिज्यिक कर लाभ एवं रियायते।
  4. अन्य लाभ या रियायते जैसे विद्युतीकरण, चुगी।

- **साझेदारी तथा एकाकी में अन्तर :–**

क्र. स.	अन्तर का आधार	साझेदारी फर्म	एकाकी स्वामित्व
1	विधान	साझेदारी का नियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा होता है।	इसके नियमन के लिए कोई पृथक विधान नहीं है।
2	अनुबन्ध	इसका निर्माण दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्यम अनुबन के परिणामस्वरूप होता है।	इसके निर्माण के लिए किसी अनुबन्ध की आवयकता नही पड़ती है।
3	सदस्यों की संख्या	एक साझेदारों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा अधिकतम संख्या 50 हो सकती है।	इसके न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या एक ही होती है अर्थात एक ही व्यक्ति होता है।
4.	निर्णय	साझेदारी में निर्णय ठोस लिये जा सकते है।	एकाकी व्यापार में निर्णय शीघ्र लिए जा सकते है पर ठोस नही है।
5	वित्तीय साधन	साझेदारी में वित्तीय साधन एकाकी व्यापार की तुलना में विस्तृत होती है।	एकाकी व्यापार के वित्तीय साधन बहुत ही सीमित होते है।

- **कम्पनी एवं साझेदारी फर्म में अन्तर :–**

क्र. स.	अन्तर का आधार	कम्पनी	साझेदारी फर्म
1	अर्थ	कम्पनी विधान के अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तिव होता है।	साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बाटने हेतु सहमत हुए है।
2	अधिनियम	कम्पनी पर कम्पनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ है।	साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू होता है।
3	पृथक अस्तिव	कम्पनी अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तिव होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालाया, पागल होने पर भी कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नही होता है।	साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग अस्तित्व नही होता है साझेदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है।
4.	अुबन्ध करने की क्षमता	कम्पनी के सीमा नियम द्वारा निर्धारित की गई सीमा के भीतर कम्पनी की अनुबन्ध करने की क्षमता होती है किन्तु प्रत्येक कम्पनी को अनुबन्ध किसी मानव के माध्यम से ही करवा पड़ता है।	साझेदारी फर्म में अनुबन्ध करने की क्षमता नही होती है क्योंकि फर्म 'व्यक्ति' नही होता है फर्म के सभी साझेदार अथवा उनकी ओर से कोई भी साझेदार फर्म की ओर से अनुबन्ध करने की क्षमता रखते है।

J.D.P.G. COLLEGE

Unit-V

- **लघु व्यवसाय :–** अर्थ

साधारण शब्दों में लघु व्यवसाय से तात्पर्य किसी लाभ उद्देश्य वाले ऐसे व्यवसायिक उपक्रम से है जो एकल स्वामित्व या कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व में स्थानीय स्तर पर भी संचालित किया जाता है तथा जिससे नियोजित कर्मचारियों संख्या तथा निर्देशित पूँजी बहुत सीमित होती है।

परिभाषा :– विल्फोर्ड एम. बौमबेक के अनुसार, ''लघु व्यवसाय वह है जो इसके स्वामियों द्वारा प्रबन्धित होता है।''

- **लघु व्यवसाय प्रबन्ध प्रक्रिया :–**
  1. नियोजन
  2. संगठन
  3. निर्देशन
  4. नियन्त्रण
  5. समन्वय

- **व्यवसायिक क्रियाएँ :–**
  1. उत्पादन क्रियाएँ / उत्पादन प्रबन्ध
  2. विपणन क्रियाएँ
  3. सामग्री प्रबन्ध
  4. वित्तीय प्रबन्ध
  5. सेविवर्गीय प्रबन्ध
  6. शोध एवं विकास प्रबन्ध
  7. कार्यालय प्रबन्ध।

- **प्रबन्धकीय सिद्धान्तों की अनुपालना :–**
  1. कार्य (श्रम) विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धान्त।
  2. अधिकार एवं दायित्व का सिद्धान्त।
  3. अनुशासन का सिद्धान्त।
  4. आदेश की एकता का सिद्धान्त।
  5. कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धान्त।
  6. केन्द्रीकरण का सिद्धान्त।
  7. निर्देश की एकता या समानता का सिद्धान्त।

- **सूलभ उपक्रम एवं वित्तीय संस्थाएँ :–** उद्योग / उपक्रम छोटे हो या बड़े, सभी को वित्त की आवश्यकता पड़ती है दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी उपक्रम / उद्योग वित्तीय संस्थाओं से सहयोग लेते है।

- **सूलभ उपक्रम में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका :–**
  1. सीमित पूँजी।
  2. लाभों का पुनः निवेश भी कम।
  3. असमामेलित / अनिगमित संगठन।
  4. संगठित एवं विकसित पूँजी बाजार का आभाव।
  5. व्यापारिक बैंको की सीमाएँ।
  6. सीमित बचत एवं पूँजी निर्माण।
  7. दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता।

- **सूलभ उपक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाएँ :–**

(I) **भारतीय लघु उद्योग बैक / सिहषी :–** भारतीय संसाधन सन् 1981 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम बनाया था। इसी अधिनियम के अधिन 2 अप्रैल 1990 को देश में भारतीय लघु विकास बैक स्थापित किया गया था।

उद्देश्य –

1. वित्त पोषण।
2. सवंर्धन।
3. भौगोलिक क्षेत्रों में विकास।
4. कार्यो से समन्वय।
5.

(II) **राज्य वित्त निमग –**

स्थापना – प्रान्तीय स्तर पर छोटे एवं माध्यम एवं आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायक प्रदान करने के लिए सितम्बर 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया।

निगमों के कार्ये :–

1. औद्योगिक संस्थाओं को अधिक से अधिक 20 वर्षो की अवधि के ऋण प्रदान करना।
2. औद्योगिक संस्थाओं द्वरा निगर्मित अंशों एवं ऋणपत्रों का अधिक से अधिक 20 वर्षो तक के लिए अभिगोपन करना।
3. उन औद्योगिक संस्थाओं के अंशों को क्रय करना जो अतिरिक्त पूँजी प्राप्ति के लिए अंशो का निर्गमन करें।

वित्तीय साधन :–

1. अंश पूँजी।
2. संचित कोष।
3. स्थायी जमा।
4. राज्यों सरकारों से ऋण।
5. बॉण्ड एवं ऋण पत्र।

(III) **उद्यम पूँजी कोष :–**उद्यम पूँजी कोष लघु एवं मध्यम उपक्रमों का वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करने वाली संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान करने है।

सेबी– के अनुसार, उद्यम पूँजी कोष से तात्पर्य किसी ऐसे कोष से है जिसका सेबी के नियमों के अधीन कम्पनी या निगम निकाय या प्रन्यास के रूप में पंजीयन किया गया है, तथा जिसके पास पूँजी का समर्पित कोष है, जिसने सेबी के नियमों में निर्धारित रीति से इन 2 कोषो को एकत्र किया है।

उद्यम पूँजी विशेषताएँ / प्रकृति :–

1. वित्तीय स्त्रोत।
2. दीर्घकालीन पूंजी।
3. समता पूंजी तथा अर्द्ध समता पूंजी।
4. उद्यम पूँजीपति द्वारा प्रदत्त पूँजी।
5. नये एवं युवा उपक्रमों हेतु।
6. उच्च तकनीक या ज्ञान आधारित उपक्रमों हेतु पूँजी।

(IV) **अन्य संस्थाएँ :–** इन संस्थाओं के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएँ है जिसका मूल कार्यो के साथ–साथ वित्तीय ऋण सहायता भी उपलब्ध करती है।

i) **राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम :–** यह निगम अपने अन्य कार्यो के साथ–साथ लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किराया क्रम पद्धति से देशी एवं आधारित मशीनों की आपूर्ति करता है।

ii) **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक / नाबार्ड :–** यह बैंक 1982 से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में संलग्न है यह बैंक अपने विभिन्न कार्यो के साथ–साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों कुटीर, ग्रामीण उद्योगो, हस्तशिल्प उद्योगों आदि को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध होता हैं।

iii) **खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग :–** यह आयोग भी लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को परोक्ष रूप से वित्तीय सुविधा प्रदान करता है।

- **वृहद् उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थाएँ :–**

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
2. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
3. भारतीय जीवन बीमा निगम
4. भारतीय साधारण बीमा निगम

5. सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियाँ।

- **जिला उद्योग केन्द्र का अर्थ एवं परिभाषा :–**

अर्थ :– जिला उद्योग केन्द्र एक ऐसा केन्द्र या स्थान है जहाँ जिले के साहसियों को सभी साधन, सहायता, सुविधाएँ, मार्गदर्शन आदि सभी उपलब्ध हो जाते है।

दो साई के अनुसार :– जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर को ऐसी संस्था है जो साहसियों को सभी सेवाएँ तथा सुविधाएँ एक ही स्थान उपलब्ध करवाती है ताकि वे (साहसी) अपने लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कर सके।

जिला उद्योग केन्द्र की विशेषताएँ :–

1. जिले की एक संस्था।
2. सूलभ उपक्रमों के विकास।
3. साहसियों को सभी साधन।
4. समन्वयकारी संस्था।
5. औद्योगिक नीति का अंग।
6. सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की संस्था।

जिला उद्योग केन्द्रो की आवश्यकता एवं महत्व :–

1. प्रत्येक जिले का समुचित विकास करने के लिए।
2. नवीन उद्योग एवं धन्धों का विकास करने के लिए।
3. कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए।
4. आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना।
5. प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये।
6. शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए।
7. राजकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए।

- **भारत में जिला उद्योगे केन्द्रों की प्रगति या योगदान :–**

1. जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना।
2. साहसियों की खोज।
3. इकाइयों का पंजीयन।
4. उपलब्ध ऋण।
5. अतिरिक्त रोजगार का सृजन।
6. लघु इकाइयों को प्रोत्साहन।
7. समाज के कमजोर वर्गो को सहायता।
8. सन्तुलित औद्योगिक विकास।
9. निर्यात।

राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र :– राजस्थान राज्य में अब 31 दिसम्बर 2013, 36 जिला केन्द्र तथा 7 उपकेन्द्र स्थापित है।

1. साहसियों / इकाइयों का पंजीयन।
2. रोजगार
3. निवेश
4. महिला ग्रह उद्योग योजना।
5. महिला रोजगार सह–प्रशिक्षण योजना।
6. कच्चे माल की सहायता।
7. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
8. औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर।

जिला उद्योग केन्द्रों की समस्याएँ एवं कमियाँ :–

1. स्टाफ की कमी
2. सभी जिलो में केन्द्र।
3. समन्वय अभाव।

J.D.P.G. COLLEGE

4. अपर्याप्त अधिकार।
5. वित्तीय साधन।
6. भवनों के निर्माण में देरी।
7. प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव

सफलता के लिए महत्व :–

1. पर्याप्त स्टाफ।
2. भवनों की समुचित व्यवस्था।
3. प्रभावी समन्वय स्थापित।
4. साहस विकास कार्यक्रम।
5. माल के विपणन।
6. उचित नियंत्रण व्यवस्था।
7. समन्वय समिति की बैठकें।

J.D.P.G. COLLEGE

B.Com. Part I

PAPER -1st

:: – महत्वपूर्ण प्रश्न – ::

प्रश्न–1. उद्यमिता की विभिन्न अवधारणा को समझाइये तथा उद्यमिता की प्रकृति की विवेचना कीजिये।

प्रश्न–2. 'उद्यमी' शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक उद्यमी के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिये।

प्रश्न–3. 'उद्यमी' एवं 'प्रबन्धक' की परिभाषा दीजिये तथा इन दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये।

प्रश्न–4. ''उद्यमी की सफलता मूलतः उसके गुणों पर निर्भर करती है।'' इस कथन की समीक्षा कीजिये एवं एक सफल उद्यमी के गुणों की विवेचना कीजिये।

प्रश्न–5. उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रभावित करने वाले या प्रेरित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिये।

प्रश्न–6. भारत में उद्यमियों के धीमी गति से विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिये। इनके तीव्र गति के विकास हेतु सुझाव दीजिये।

प्रश्न–7. उद्यमिता विकास से आप क्या समझते हैं? उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका की विवेचना कीजिये।

प्रश्न–8. सूलम उपक्रमों की विशेषताओं एवं लाभों का वर्णन कीजिये।

प्रश्न–9. भारत में सूलभ उपक्रमों की भूमिका के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिये।

प्रश्न–10. औद्योगिक नीति संकल्प, 1991 में सम्मिलित लद्यु उद्योगों से सम्बन्धी नीतिगत बातों को स्पष्ट कीजिये।सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम संवर्द्धन पैकेज, 2007 के पहलुओं का भी वर्णन कीजिये।

प्रश्न–11. किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उठाये जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिये।

प्रश्न–12. साझेदारी की परिभाषा दीजिए। इसके लक्षणों का विशद् विवेचना कीजिए।

प्रश्न–13. 'साझेदारी व एकल स्वामित्व' में अन्तर्भेद बताइये।

प्रश्न–14. कम्पनी किसे कहते है? यह एक साझेदारी से किस प्रकार भिन्न है?

प्रश्न–15. सीमित देयता साझेदारी की विशेषताओं, लाभों एवं दोषों का वर्णन कीजिये।

प्रश्न–16. जिला उद्योग केन्द्रों के लिए उद्देश्य, कार्य एवं संगठन का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

प्रश्न–17. जिला उद्योग केन्द्र क्या है? आर्थिक विकास में इनके योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्रश्न–18. 'जिला उद्योग केन्द्र' पर एक लेख लिखिए।

J.D.P.G. COLLEGE